न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 117/2023
दायर दिनांक :– 30.05.2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/296
निर्णय दिनांक :– 19.09.2025

1. प्रेमसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम्

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. अचल कंवर पत्नी छैलूसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. रावलसिंह पुत्र छैलूसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी नाबालिग जरिये संरक्षक माता अचल कंवर पत्नी छैलूसिंह
4. दिलीपसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. भोमसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. मूलसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. मानसिह पुत्र छतरसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

उपस्थित :–1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:निर्णय:–

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा तहसील घंटियाली में प्रार्थीगण की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 35/2 रकबा 13.0309 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 22.7676 हैक्टेयर भूमि ग्राम रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा तहसील घंटियाली में आई हुई है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 35/2 की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 का खसरा नम्बर 35 की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थी

19/9/25

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को बंद करने को आमादा है। अप्रार्थीगण की भूमि से लगती सड़क जो मौके पर बूंगड़ी से मेलू तक जाती है जिस सड़क मार्ग तक पहुंच हेतु प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार घंटियाली ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली में बहस सुनी गई।

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार घंटियाली से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार –

1. प्रार्थीगण वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 35/2 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 35 के किनारे से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 35/2 के निकटतम खसरा नम्बर 35 के चिपती डामर सड़क है।
3. यदि खसरा नंबर 35 में से रास्ता दिया जाता है तो 3204 वर्ग मीटर यानि 0.3204 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

(मुहर: सहायक कलेक्टर, बाप, जिला फलोदी (राज.))

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार घंटियाली की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा के खसरा नंबर 35 में से मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार 3204 वर्ग मीटर यानि 0.3204 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार घंटियाली द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै. मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार घंटियाली को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)